न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—400/2025/225 आर.टी.एक्ट (2025/400)

1. नारायण पुत्र नन्दा, जाति जाट, निवासी ग्राम भूखरखेडा, शिखरानी, तहसील बिजयनगर, जिला ब्यावर।

अपीलांट

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र घासीराम
2. सांवरलाल पुत्र घासीराम
   दोनों जाति जाट, निवासी गुलाबपुरा, तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा।
3. नगर पालिका, बिजयनगर जरिए अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, बिजयनगर, जिला ब्यावर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2025 राजस्व वाद संख्या 327/2021 (2024/122)

उपस्थितः—

1. श्री हेमराज गुप्ता अभिभाषक अपीलांट
2. श्री वैभव पारीक अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 2
3. श्री एस0पी0औझा0 अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3
4. श्री विकास पाराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4

निर्णय

दिनांकः— 27.03.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 327/2021 (2024/122) में पारित आदेश दिनांक 23.05.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध अपीलांट व शेष रेस्पोडेंट उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के न्यायालय में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा कहे गए

कथनों से इंकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष की बहस पर मनन करते हुए प्रकरण में आदेश दिनांक 23.05.2025 पारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 327/2021 (2024/122) में पारित आदेश दिनांक 23.05.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध अवैधानिक रूप से एकतरफा कार्यवाही करते हुए आक्षेपित निर्णय दिनांक 23.05.2025 पारित किया है, जिसकी जानकारी प्रार्थी को पूर्व मे नहीं थी। दिनांक 12.08.2025 को विपक्षीगण द्वारा निर्धारित राशि जमा कराए जाने पर तहसीलदार बिजयनगर द्वारा एक पत्र भू–अभिलेख निरीक्षक बिजयनगर को प्रेषित कर जमा राशि केशियर हाजा से प्राप्त कर आराजी खसरा संख्या 128 के खातेदारों को हिस्से अनुसार/आदेशानुसार वितरीत कर पालना रिपोर्ट से अवगत कराने बाबत लिखा। जिसकी पालना में पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी से सम्पर्क कर जानकारी दिए जाने पर आक्षेपित निर्णय की जानकारी हुई। जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.08.2025 को आक्षेपित निर्णय एवं आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणितप्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जो दिनांक 18.08.2025 को प्राप्त हुई। प्रकरण संबंधित आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर प्रार्थी दिनांक 18.08.2025 को अजमेर आकर अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया, जिनके द्वारा बिना किसी देरी के उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुती में जानबूझकर कोई देरी नही की गई है। प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुती में हुई देरी सदभाविक देरी है। जिसे क्षमा किया जाना न्यायोचित व न्याय संगत है। प्रार्थी का प्रकरण गुणावगुण पर बनता है एवं यह न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित किए जाने योग्य बनता हो, तो मियाद को कन्डोन किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भी अपील प्रस्तुती में हुई देरी को क्षमा किया जाना न्यायोचित व न्याय संगत है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

RBJ(13)2006

INDIAN LIMITATION ACT,1963-SECTION 5 – *CONDONATION OF DELAY-COURT SHOULD ADOPT LIBERAL APPROACH IN CONDONING DELAY.*

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि न्यायालय द्वारा अपने पूर्व पारित निर्णय दिनांक 19.10.2023 से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि धारा 251ए आरटीएक्ट व राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 69 व 70 की पालना करते हुए तहसीलदार/भूअभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट तलब कर प्रकरण का निस्तारण करे। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय की अक्षरतः पालना किये बिना नियम 69 व 70 की पालना किये बिना अवैधानिक रूप से आक्षेपित निर्णय पारित किया है। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अथवा इससे संबंधित में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 व 70 के प्रावधानों का अवलोकन किए बिना एवं अंकित प्रावधानों व नियमों की मंशा को समझे बिना अवैधानिक रूप से आक्षेपित निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट की युक्तियुक्त तामिल नहीं करवाई गई एवं युक्तियुक्त तामिल कराए बिना अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा में एवं एक तरफा रिपोर्ट के आधार पर आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में कहीं भी अपीलांट के नोटिस प्रस्तुत होने अथवा नोटिस जारी होने का अंकन नहीं है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आधार पर गैर कानूनी रूप से अपीलांट पर युक्तियुक्त तामिल कराए बिना अपीलांट के विरूद्ध

एकतरफा कार्यवाही करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सुस्थापित सिद्धान्त के विपरीत होकर काबिल निरस्त योग्य है। नैसर्गिक न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रकरण से संबंधित सभी पक्षकारों को पूर्ण साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का निर्णय किया जाना चाहिए एवं किसी भी पक्षकार को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के उक्त सुस्थापित सिद्धान्त के विपरीत अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिए बिना एकतरफा में आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है। विपक्षीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण तथ्य अंकित किए बिना प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है, अर्थात विपक्षीगण न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। विपक्षीगण के पास वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 136 व 129 में से होते हुए खसरा संख्या 130 व 131 के लिए मौजूद है एवं इसी प्रकार खसरा संख्या 121, 122 जो विपक्षीगण के परिवारजनों के ही है, की तरफ से भी विपक्षीगण के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। विपक्षीगण उसी रास्ते से अपनी आराजी में आते–जाते रहे है। वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के बावजूद भी विपक्षीगण द्वारा अवैधानिक रूप से अपीलांट की आराजी में से रास्ता चाहा गया है, जो कतई न्यायोचित व न्याय संगत नहीं है। परन्तु पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपनी एकतरफा रिपोर्ट में उक्त रास्तों का कोई अंकन नहीं किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त स्थिति पर गौर किए बिना अवैधानिक रूप से आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है, जो काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार ने पटवारी हल्का द्वारा व भू–अभिलेख निरीक्षक बनाई गई मौका रिपोर्ट प्रेषित की है, उक्त मौका रिपोर्ट सभी पक्षकारों की उपस्थिति में नहीं बनाई गई है, ऐसी स्थिति में एकतरफा में बनाई गई उक्त मौका रिपोर्ट का कानूनन कोई महत्व नहीं है एवं एकतरफा में निर्मित मौका रिपोर्ट के आधार पर किसी भी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सुस्थापित कानूनी प्रावधानों को नजरन्दाज करते हुए एकतरफा में बनाई गई मौका रिपोर्ट को रिकार्ड पर लेकर आक्षेपित निर्णय पारित किया है। यहां यह भी गौरतलब है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं में कहीं भी मौका रिपोर्ट मंगावाये जाने के कोई आदेश नहीं है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में एकतरफा में बनाई गई मौका रिपोर्ट संलग्न है। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की कार्यवाही पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न करती है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के तहत मौका रिपोर्ट सभी पक्षों की उपस्थिति में निर्मित किया जाना आज्ञापक है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट मंगाए बिना आक्षेपित निर्णय पारित किया है, जो काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शे में पूर्णतया विरोधाभास है, मौका रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा खसरा संख्या 128 व 140 में से आवागमन होना एवं उक्त रास्ता ही सुलभ रास्ता होना अंकित किया है। जबकि संलग्न नक्शा ट्रेस मे प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 141 जहां पुराना गै.मु. चाह रहा है, से होते हुए खसरा संख्या 128 में से होकर खसरा नम्बर 127 से होकर विपक्षीगण की आराजी खसरा नम्बर 126 में जाने का दर्शाया है। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा

प्रार्थना पत्र मे चाहा गया अनुतोष, पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शा ड्रेस मे पूर्णतया विरोधाभास है, इसके बावजूद भी न्यायालय द्वारा उक्त स्थिति पर गौर किए बिना अवैधानिक रूप से आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है। नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया प्रस्तावित रास्ते में खसरा संख्या 127 जो नगर पालिका बिजयनगर के नाम अंकित है, के बारे में मौका रिपोर्ट में गलत विवेचन कर खसरा नम्बर 127 में डामर सडक होना अंकित किया गया है, लेकिन रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि डामर सडक खसरा नम्बर 128 की सीमा तक है अथवा नहीं, क्योंकि खसरा नम्बर 127 में निर्मित सडक खसरा नम्बर 128 की सीमा के लगवा नहीं है। ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर 127 में से खसरा नम्बर 128 तक पहुंच की आराजी को रास्ते के रूप में घोषित किये बिना न्यायालय द्वारा अवैधानिक रूप से आक्षेपित निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.10.2023 की पालना में दिनांक 18.01.2024 को प्रकरण दर्ज किया गया तत्पश्चात लगातार मोहर लगाकर तारीख पेशी बदली गई अर्थात् प्रकरण में कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई एवं सीधे ही दिनांक 23.05.2025 को एक ही दिन में समस्त कार्यवाही करते हुए अवैधानिक रूप से आक्षेपित निर्णय पारित किया गया जो अपने आप में सन्देहास्पद है। दिनांक 23.05.2025 को ही अप्रार्थी संख्या 2 का जवाब प्रस्तुत होकर शामिल मिसल किया जाना, उसी दिन पैरोकार सरकार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना तथा वर्तमान अपीलांट के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्रकरण में बहस सुनकर उसी दिन निर्णय पारित किया जाना अपने आप में सन्देहास्पद है। धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सुविधानुसार रास्ता नहीं दिया जा सकता। जब खातेदार के पास में कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध ना हो, तो ही सबसे नजदीकी रास्ता खातेदार को प्रदान किए जाने के प्रावधान धारा 251–ए में अंकित है। प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षीगण रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तथा वो ही रास्ता अपीलांट की आराजीयात तक पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी व सुलभ रास्ता है। लेकिन न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किए बिना आक्षेपित निर्णय पारित किया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 327/2021 (2024/122) में पारित आदेश दिनांक 23.05.2025 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के निर्णय दिनांक 19.10.2023 के अनुसार पत्रावली को रिमाण्ड किया जाकर तहसीलदार/भू अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट तलब करके निर्णय पारित करने का आदेश दिए हैं प्रकरण पुनः दर्ज किया गया। संक्षिप्तः प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क में कथन किया है, कि मौजा शिखरानी पटवार हल्का शिखरानी तहसील बिजयनगर में प्रार्थीगण के नाम खसरा नंबर 126, 130, 131, 133, 2543/124, 2545/132 की भूमियां राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण उक्त आराजीयात में आने जाने हेतू रास्ता नहीं है, जिसके सटते हुये पूर्वी दिशा में विपक्षी संख्या 1 व 2 की खातेदारी की खसरा नंबर 128 व

140 है एंव खसरा नंबर 128 व 140 के पूर्वी दिशा में आम रास्ता है, जो प्रार्थीगण की आराजी व आम रास्ता के मध्य खसरा नंबर 128 व 140 ही स्थित है तथा उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त खसरान में से प्रार्थीगण को आने जाने के लिये 30 फिट चौडे रास्ते की आवश्यकता है तथा प्रार्थीगण नियमानुसार शुल्क होगा उसे जमा कराने के लिये तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कि प्रार्थीगण को खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये खसरा नंबर 128 व 140 में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 23.05.2025 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

वर्तमान प्रकरण पूर्व में हाजा न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था। हाजा न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय पारित कर दिनांक 19.10.2023 को अधीनस्थ न्यायालय को पुनः गुणावगुण पर निर्णित किए जाने हेतु दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान प्रकरण को दिनांक 18.01.2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में अप्रार्थीगण की तलबी जरिए नोटिस करने बाबत कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किए जाने के उपरांत प्रकरण में पी0ओ0 सहाब अन्य कार्य पर होने की मोहरे ही लगती रही, इस दौरान प्रकरण में कोई कार्यवाही होने का उल्लेख नहीं है तथा प्रकरण में सीधे ही दिनांक 23.05.2025 को निर्णय पारित किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 274 के खसरा नम्बर 128 का अपीलांट रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार को बिना नोटिस जारी किए ही प्रकरण में अवैधानिक तौर पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय पारित किया गया है। जबकि यह न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में निर्णय पारित किया जाना चाहिए परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज कर प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है।

तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट के संबंध में नोटिस अथवा सूचना उभयपक्षकारान को प्रेषित नहीं की गई है। तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 125, 127 व 128 में से रास्ता कायमी के

आदेश पारित किए गए। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 926 के खाता संख्या 125 के खातेदार राजस्थान सरकार नगरपालिका बिजयनगर/अप्रार्थी संख्या 2 है, परंतु तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट उभयपक्षों की अनुपस्थिति में नियम 69 की पालना नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में निर्णय पारित किया गया।

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया।

न्यायिक दृष्टांत 2017 आर0बी0जे0 पेज 687:– RAJASTHAN TENANCY ACT 1955- *Section 251A Rajasthan Tenancy Act and (government) Rules 1955. Rule 69- Order regarding way passed without Comliance of mandatory provision of rule 69 is not maintainable.*

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका में मौका रिपोर्ट बाबत कोई आदेश नहीं किया गया है, फिर तहसीदार द्वारा किस आदेश से प्रकरण में एकपक्षीय मौका रिपोर्ट तैयार की गई व उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2024 को प्रकरण दर्ज किया गया तत्पश्चात लगातार मोहर लगाकर तारीख पेशी बदली गई अर्थात् प्रकरण में कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई एवं सीधे ही दिनांक 23.05.2025 को एक ही दिन में समस्त कार्यवाही करते हुए अवैधानिक रूप से निर्णय पारित किया। दिनांक 23.05.2025 को ही अप्रार्थी संख्या 2 का जवाब प्रस्तुत होकर शामिल मिसल किया जाना, उसी दिन पैरोकार सरकार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना तथा वर्तमान अपीलांट के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्रकरण में बहस सुनकर उसी दिन निर्णय पारित किया।

माननीय मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा होते हैं।

उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 327/2021 (2024/122) में पारित आदेश दिनांक 23.05.2025 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण से संबंधित सभी पक्षकारान को प्रोपर तामील करवाई जाकर, उभयपक्षों को मौका रिपोर्ट बाबत नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में नियम 69 की पालना कर मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग के बिंदुओं का अनुसरण करते हुए तथा प्रकरण में 30 फीट चौडे रास्ते की आवश्यकता है या

नहीं उसका भी विशेष रूप से अंकन कर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.04.2026 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर